न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0:–587 / 2026
सी0एन0आर0नं0–यू0पी0जे0पी0 010042822026

करन चौहान पुत्र रामउजागिर चौहान।
सा0मौ0–मुलनापुर, थाना–मीरगंज, जिला–जौनपुर।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–150 / 2025
धारा–109, 317(2) बी0एन0एस0 व 3 / 25 आर्म्स एक्ट।
थाना–मीरगंज, जिला जौनपुर।

08.06.2026

आवेदक / अभियुक्त करन चौहान के द्वारा मु0अ0सं0–150 / 2025, धारा–109, 317(2) बी0एन0एस0 व 3 / 25 आर्म्स एक्ट, थाना–मीरगंज, जिला जौनपुर में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि दिनांक 10.11.2025 को वह थानाध्यक्ष विनोद कुमार अंचल मय हमराहीगण के साथ बगरज देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारण्टी व संदिग्ध अपराधी में मामूर था कि कार्य सरकार करते हुए जब वह बंधवा तिराहे पर पहुंचे और अपराध नियंत्रण के सम्बन्ध में आपस में चर्चा कर रहे थे कि इसी दौरान प्रभारी निरीक्षक मछलीशहर विनित राय मय हमराहियान के साथ आपस में बातचीत कर रहे थे कि गोधना की तरफ से एक मोटर साइकिल तेज रफ्तार से बंधवा तिराहे की तरफ आती हुई दिखाई दी। नजदीक आने पर टार्च की रोशनी से मोटर साइकिल को रोकने का इशारा किया गया परन्तु कुछ नजदीक आने पर मोटर साइकिल चालक ने स्पीड बढ़ाकर तेज गति से लहराते हुए बिलरा रोड बरसठी की तरफ मुड़कर भागने लगा तो पुलिस बल ने पीछा किया। नजदीक से नजदीक पहुंचकर मोटर साइकिल चालक को रोकने का प्रयास किया गया कि अचानक सड़क के बाये पाण्डेय का तारा सेमरहो कच्चा रास्ता पर मुड़कर भागने का प्रयास किया किन्तु मोटर साइकिल अनियत्रित होने के कारण लड़खड़ाकर मोटर साइकिल चालक गिर पड़ा और तुरन्त तमंचा निकालकर लक्ष्य करके जाने से मारने की नीयत से फायर कर दिया कि पुलिस वाले भागय से बच गये। जबाव में पुलिस बल द्वारा राउण्ड फायर किया जिससे गोली उसके पैर में लगी। मौके पर पहुंचकर बदमाश को पकड़ लिया और नाम पता पूछा गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम करन चौहान बताया। जामा तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व अदद खोखा व एक अदद मिस कारतूस व एक अदद मोटर साइकिल बरामद की गयी। मोटर साइकिल पर नम्बर प्लेट नहीं लगी थी। मोटर साइकिल के सम्बन्ध में कागज मांगने पर दिखाने से कासिर रहा। उपरोक्त के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है तथा उसे गलत ढंग से अभियुक्त बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से अंकित करायी गयी है और उसका कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस वालों ने आवेदक को घर से उठाकर फर्जी रूप से चालान कर दिया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। घटना में किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आयी है। कथित घटना में आवेदक के पास से कोई बरामदगी नहीं की गयी है। अभियुक्त का कथित घटना से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 11.11.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक / अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की।

उभय पक्ष के तर्को को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 10.11.2025 को पुलिस बल को जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर फायर करने तथा उसके कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद करने का आरोप लगाया गया है, जिसकी पुष्टि वादी

मुकदमा द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में की गयी है। अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा, 1 अद्द खोखा कारतूस, एक अद्द मिस कारतूस व एक अदद मोटर साइकिल आदि बरामद करना बताया गया है, परन्तु गिरफ्तारी और बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं बनाया गया है। पत्रावली पर कोई आघात आख्या उपलब्ध नहीं है। मामले में किसी पुलिस कर्मी को कोई प्राणघातक चोट नहीं आयी है, जबकि इसके विपरीत पुलिस वालो द्वारा अभियुक्त के पैर में गोली मार दी गयी थी। यद्यपि थाने की प्रस्तरवार आख्या में आवेदक का 19 मामलो का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है, परन्तु किसी मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने के सम्बन्ध में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अब किसी साक्ष्य का संकलन किया जाना शेष नहीं है और न ही गवाहों को डराने, धमकाने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई आशंका है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 11.11.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों में गुण–दोष के आधार पर कोई विचार व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त करन चौहान के द्वारा मु0अ0सं0–150/2025, धारा–109, 317(2) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना–मीरगंज, जिला जौनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उसके द्वारा मु0–50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभूतियां सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में दाखिल करने पर, उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

<u>दिनांक 08.06.2026</u>
नितिन कुमार/–

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।